

## राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक/राम/गोप/परिपत्र पत्रा./2013

369-73

दिनांक:- 16/5/18

जिला कलक्टर, समस्त  
आयुक्त, भू.प्रबन्ध विभाग जयपुर/उपनिवेशन विभाग, बीकानेर  
सचिव, विकास प्राधिकरण अजमेर/जयपुर/जोधपुर  
राजस्व अपील प्राधिकारी समस्त

विषय:- आपके विभाग के अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों (तहसीलदार एवं अन्य) की अचल सम्पत्ति विवरण के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.18 एवं परिपत्र प.13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 13.3.19 द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों (तहसीलदार एवं अन्य) को अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा Online स्वयं द्वारा भरी जाने बाबत निर्देशित किया गया था। इस क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण IPR Online नहीं किया है उन अधिकारियों को वेतन वृद्धि/पदोन्नति/विजीलेंस क्लीयरेंस पर विचार नहीं किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। अतः इस क्रम में आपके विभाग के पदस्थापित समस्त राजपत्रित अधिकारी(तहसीलदार एवं अन्य) की वेतनवृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व कार्मिक विभाग के परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे।

भवदीया,

(विनीता श्रीवास्तव)

निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर374-77  
16/5/18

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1-संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2-अतिरिक्त निबन्धक, (रातस) / (प्रशासन) / (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
- 3-उपनिबन्धक, (विभागीय जांच) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

4-संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर)राजस्व मण्डल अजमेर को संबंधित विभाग को ई-मेल करने हेतु

एवं मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड हेतु

अति.निबन्धक(गोपनीय)  
राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर